न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 73/2025 | **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/143**

दायर दिनांक :– 27.03.2025 | **निर्णय दिनांक :– 13.03.2026**

1. आशाराम पुत्र नरूराम जाति मेघवाल निवासी लूणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. गणेशाराम पुत्र नरूराम जाति मेघवाल निवासी लूणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. जेती देवी पत्नी ईश्वरराम जाति मेघवाल निवासी लूणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. भूराराम पुत्र नरूराम जाति मेघवाल निवासी लूणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. धूडाराम पुत्र कुम्भाराम जाति मेघवाल निवासी लूणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. मोहनराम पुत्र कुम्भाराम जाति मेघवाल निवासी लूणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. राणाराम पुत्र कुम्भाराम जाति मेघवाल निवासी लूणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. लालूराम पुत्र कुम्भाराम जाति मेघवाल निवासी लूणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
5. जमनादेवी पत्नी खींयाराम जाति मेघवाल निवासी लूणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
6. तिलाराम पुत्र खींयाराम जाति मेघवाल निवासी लूणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
7. पेमाराम पुत्र खींयाराम जाति मेघवाल निवासी लूणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
8. संतूराम पुत्र खींयाराम जाति मेघवाल निवासी लूणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
9. हुकमाराम पुत्र खींयाराम जाति मेघवाल निवासी लूणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
10. प्रभूराम पुत्र गोविन्दराम जाति मेघवाल निवासी लूणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
11. शंकरलाल पुत्र गोवन्दिराम जाति मेघवाल निवासी लूणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
12. गणेशाराम पुत्र बालूराम जाति मेघवाल निवासी लूणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
13. नारायणराम पुत्र बालूराम जाति मेघवाल निवासी लूणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
14. भगवानाराम पुत्र बालूराम जाति मेघवाल निवासी लूणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
15. हुकमाराम पुत्र बालूराम जाति मेघवाल निवासी लूणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
16. दमाराम पुत्र धनाराम जाति मेघवाल निवासी लूणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
17. बीजाराम पुत्र धनाराम जाति मेघवाल निवासी लूणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
18. लाछा पत्नी धनाराम जाति मेघवाल निवासी लूणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
19. सिदाराम पुत्र रामूराम जाति मेघवाल फौत के कायम मुकाम

19/1 अणची पत्नी सिदाराम जाति मेघवाल निवासी लूणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी

19/2 प्रेमाराम पुत्र सिदाराम जाति मेघवाल निवासी लूणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी

19/3 तेजाराम पुत्र सिदाराम जाति मेघवाल निवासी लूणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी

19/4 भूराराम पुत्र सिदाराम जाति मेघवाल फौत के कायम मुकाम

19/4/1 राधादेवी पत्नी भूराराम जाति मेघवाल निवासी लूणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी

Satyo..
उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

19/4/2 गोरधनराम पुत्र भूराराम जाति मेघवाल निवासी लूणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी नाबालिग जरिये कुदरती वली माता राधा देवी पत्नी भूराराम

19/4/3 नाबालिग नेमीचंद पुत्र भूराराम जाति मेघवाल निवासी लूणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी नाबालिग जरिये कुदरती वली माता राधा देवी पत्नी भूराराम

20. राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

—अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :—1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली

—:: निर्णय ::—

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीगण की सह खातेदारी अधिकारों कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 49/1 रकबा 5.5118 हैक्टेयर ग्राम लूणा पटवार हल्का लूणा तहसील घंटियाली की सरहद में स्थित है। उक्त भूमि पर प्राथीगण का राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अनुसार उक्त भूमि पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है और प्रार्थीगण ने अपनी उक्त भूमि पर रहवासीय ढाणीयां, पानी के टांके, पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है। उक्त रहवासीय ढाणीयों में प्रार्थीगण अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे है। प्रार्थीगण ने अपनी उक्त खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने हेतु तहसीलदार घंटियाली के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया और तहसीलदार घंटियाली ने क्रमांक 374 दिनांक 07.05.2024 को उक्त भूमि की पैमाईश करने के ओदश पटवारी हल्का को दिये। पटवारी हल्का उक्त आदेश की पालना में दिनांक 15.06.2024 को मौके पर जाकर प्रार्थीगण की उपस्थित में उक्त भूमि की पैमाईश की तथा मौका फर्द तैयार कर प्रार्थीगण एवं उपस्थित मौतबीरान को पढ कर सुनाया गया। पैमाईश फर्द नियमानुसार तहसील कार्यालय में जमा करवा दी। प्रार्थीगण पैमाईश अनुसार अपनी भूमि के चारों ओर खूंटे रोपने लगे तो उक्त भूमि के पड़ोसी खातेदार अप्राथीगण ने पैमाईश अनुसार प्रार्थीगण की हद में खूंटे रोपने नहीं दिये और उक्त पैमाईश को मानने से इन्कार कर दिया। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की उक्त भूमि में बरसान के मौसम में काश्त करते है तब उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा की गई काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है और प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति हो रही है। इसलिए प्रार्थीगण उपरोक्त वर्णित भूमि की दिनांक 15.06.2024 को हुई भूमि पैमाईश अनुसार प्रार्थीगण अपनी हद में पत्थरगढी करवाना चाहते है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 20 पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

Satya
उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

अप्रार्थीगण संख्या 20 पैरोकार सरकार ने जवाब में बताया कि सरहद मौजा लूणा पटवार हल्का लूणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी के खसरा नम्बर 49/1 रकबा 5.5118 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी पैमाईश फर्द दिनांक 15.06.2024 के अनुसार प्रार्थीगण की हद में प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण को सूचित करते हुवे पत्थरगढी किया जाना उचित है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 19 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि सरहद मौजा लूणा पटवार हल्का लूणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी के खसरा नम्बर 49/1 रकबा 5.5118 हैक्टेयर में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि की पैमाईश फर्द दिनांक 15.06.2024 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द, पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि सरहद मौजा लूणा पटवार हल्का लूणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी के खसरा नम्बर 49/1 रकबा 5.5118 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी पैमाईश फर्द दिनांक 15.06.2024 के अनुसार करवाने के हकदार है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम लूणा पटवार हल्का लूणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी के खसरा नम्बर 49/1 रकबा 5.5118 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी पैमाईश फर्द दिनांक 15.06.2024 के अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें। प्रार्थी का उक्त वर्णित आराजीयात पर कब्जा नहीं होने की स्थिति में यह आदेश कब्जा सुपूर्दगी हेतु मान्य नहीं है। मौका कमिश्नर शुल्क 1000/- प्रार्थीगण द्वारा अदा किया जायेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Saty

(सत्य नारायण I.RAS)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)